न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/167/2019	15–10–2019	03–08–2021

01–खलील पुत्र सिमरत जाति मेव निवासी रायपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार तिजारा दिनांक 20–08–2018 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 33/18

उपस्थितः–

01. श्री राम निवासी सैनी —वकील अपीलान्ट
02. विभागीय प्रतिनिधि

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 20–08–2018 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम रायपुर की सरकारी गैरमुमकिन बेहड भूमि आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 13.75 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गै0मु0बेहड पर अवैध रूप से बाजरा कर कब्जा कर अतिक्रमण से बेदखल करने एवं 100/– रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 13.75 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गै0मु0बेहड से अपीलान्ट को बेदखल किये का व तीन माह के कारावास से गलत व बेजा तौर पर दण्डित किया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को धारा 91(7) भू0राजस्व अधिनियम के तहत पश्चावर्ती अतिक्रमण का कोइ नोटिस नहीं दिया। तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना नोटिस दिए बिना सुनवाई का अवसर दिये आलौच्य आदेश पारित किया है जो मौके व कब्जे के खिलाफ व विधि विरूद्ध पारित किया है। पश्चावर्ती अतिक्रमण अपीलान्ट ने नहीं किया यानि पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है फिर भी तहत अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर ही पश्चावर्ती अतिक्रमण मानकर कारावास की सजा से दण्डित जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तहत अदालत को पेश की है व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिए बिना आलौच्य निर्णय पारित किया है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 13.75 हैक्टर एक बडा रकबा है। जिसमें से 0.50 हैक्टर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है जो रकबा किस तरफ का है यह भी पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में नहीं खोला गया है। इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल की नजीरों के अनुसार बडा रकबा में से कुछ रकबा पर अतिक्रमण किया गया है

तो पटवारी हल्का को स्पष्ट रूप से विहिन्त करना पडेगा कि आराजी के किस तरफ के हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है। तहत अदालत ने इसकी जॉच नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपील अंदर मियाद है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी गैरमुमकिन बेहड भूमि है। किस्म गैरमुमकिन बेहड पर बाजारा बौ कर कब्जा कर अतिक्रमण कर नहीं कर सकतें। अपीलान्ट ने मौके पर अवैघ रूप से किस्म गैरमुमकिन बेहड की भूमि पर काश्त कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 13.75 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गै0मु0बेहड से अपीलान्ट को बेदखल किये का व तीन माह के कारावास से गलत व बेजा तौर पर दण्डित किया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को धारा 91(7) भू0राजस्व अधिनियम के तहत पश्चावर्ती अतिक्रमण का कोइ नोटिस नहीं दिया। तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना नोटिस दिए बिना सुनवाई का अवसर दिये आलौच्य आदेश पारित किया है जो मौके व कब्जे के खिलाफ व विधि विरूद्ध पारित किया है। पश्चावर्ती अतिक्रमण अपीलान्ट ने नहीं किया यानि पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है फिर भी तहत अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर ही पश्चावर्ती अतिक्रमण मानकर कारावास की सजा से दण्डित जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कब्जा नहीं किया है।

तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया हो। अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार तिजारा का आदेश दिनांक 20–08–2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 03–08–2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर